

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

अमयपक्ष चक्रवर्ती वनाम वकील (कार्या)

केस नुक्राना

प्रा.पत्र

111-128

नं०

83

सन 2020

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मग इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुआ
7-6-20	<p>स्वद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जादे । पत्रावली दिनांक 7.7.20 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
7-7-20	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य में व्यस्त है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 16.7.20 को पेश हो। विपक्षीगण की ओर से अध्यापिकाट पेश हुआ जिसे शा.पठ डिपोजिट</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
16-7-20	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य में व्यस्त है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 23.7.20 को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
23-7-20	<p>पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपाधित वकील विपक्षीस 1 से 3 की ओर से जवाब पेश हुआ जिसे शा.पठ डिपोजिट एक प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को पिलायी गई तहसीलदार माण्डल द्वारा भौका डिपॉजिट प्राप्त हुई जिसे शा.पठ डिपोजिट गया, वास्ते पत्रावली में उभयपक्षों की वृद्धि / अडॉर हेतु नियत दिनांक 30-7-20 को पेश हो।</p>	
30-7-20	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य में व्यस्त है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28.8.20 को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	

7.8.20

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्ष ने बहस करनी चाही, उभयपक्षों की बहस सुनी गई, वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तुझा की जब कि वकील अक्षरगण ने अपनी बहस में बताया कि कब्जे की दयास्थिति शरते हुए विवाहित आराजियत की पल्पराही की जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, वकील प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है, निर्णयपत्र से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

